भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नि संख्या 2529

जिसका उत्तर 13 दिसम्बर,2021/22 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया गया

बैंक कर्मचारियों के गलत कार्य

2529. श्री एस. मुनिस्वा2मी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्याी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए किसी भी गलत कार्य हेतु दंड के लिए एक समान कानून बनाने की आवश्य)कता है क्योंरकि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों को इससे बेहद नुकसान उठाना पड़ा है और वे न्यायय के लिए दर-दर भटक रहे हैं

(ख) यदि हां, तो क्याभ सरकार ने उन मामलों का संज्ञान लिया है जहां किसी कानून के उल्लंनघन पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम अधिकारियों की गलतियों के कारण कर्मचारियों को नुकसान उठाना पड़ा है और यदि हां , तो तत्संलबंधी ब्यौ्रा क्याम हैऔर

(ग) क्याै सरकार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और केनरा बैंक सहित अन्यैत्र ऐसे मामलों में दी गई सजाओं पर विचार करने और उन पर फिर से निर्णय लेने की इच्छुकक है औरयदि हां, तो तत्सं बंधी ब्यौजरा क्याक है

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्यस मंत्री (डा. भागवत कराड)

(क) से **(ग)** : बैंक अधिनियम के तहत स्थातपित सांविधिक संस्थाोएं हैं और उनके कर्मचारी संबंधित अधिनियम/नियमों/विनियमों के उपबंधों और संबंधित बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतिगत निर्णयों के साथ-साथ सेवा की शर्तों से अभिशासित होते हैं जिसमें बैंक कर्मचारियों के खिलाफ सजा का भी प्रावधान है। बैंकों की एक पूर्ण परिभाषित प्रक्रिया भी है जो उनके संबंधित बोर्डों द्वारा अनुमोदित है जो कि कर्मचारियों के विरूद्ध जुर्माने के अधिरोपण/अनियमितता/गलत कार्य से संबंधित है जिसमें उन्हें बिना किसी भेदभाव के समान माना जाता है। इसके अतिरिक्तर, सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से धोखाधड़ी के मामलों के अलावा 50 करोड़ रुपये तक की अनर्जक आस्ति (एनपीए) खातों के लिए एक समेकित कर्मचारी जवाबदेही ढांचे को अंतिम रूप दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को उनके संबंधित बोर्ड के अनुमोदन से अपने-अपने कर्मचारी जवाबदेही नीति और अन्यक प्रासंगिक नीतियों को उपयुक्तत रूप से संशोधित करने की सलाह दी गई है। कर्मचारी जवाबदेही ढांचे का उद्देश्ये चूक या निष्क्रियता की जवाबदेही तय करते समय बैंक अधिकारियों/कामगारों द्वारा लिए गए उचित निर्णयों को संरक्षित करना है। इसका उद्देश्यी उन बैंक अधिकारियों/कामगारों की पहचान करना और उन्हें दंडित करना है जो निर्धारित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालना या कदाचार और/या सम्य्क तत्पिरता मानदंड का पालन न करने के लिए प्रथम दृष्टगया उत्तलरदायी हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग की सतर्कता नियमावली , 2017 के मद्देनजर, जाति या किसी भी अन्यक कारकों पर ध्याटन दिए बि़ना कोई भी पीड़ित कर्मचारी दंड के आदेश के खिलाफ अनुशासनिक/समीक्षा/अपील प्राधिकारी को तथ्यों और योग्यता के आधार पर स्व़तंत्र निर्णय लेने के लिए अपील कर सकता है।

*****